



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN : L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/E/20/00015

दिनांक: 21 January, 2020

Shri Narendra,
 dno:39-6-23/3, gopal nagar 3rd lane , ongole, Pin:523001,
 Andhra Pradesh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 9 January, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
 कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
 केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
 "सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
 ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
 फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

f/o *संजीव सिंह*
21/01/2020

(जसवीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी
 Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुसंधान - I

Reply to RTI Query by Sh. Narendra, AP

RTI Reg. No.: PGCIL/R/2020/00015

Query	<p>Kindly provide the details of executives at least 5 Nos. (in the following format) who got pay protection after joining with experience basis in your organization.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Name of executive2. Date of joining3. Designation during joining4. Place of posting5. Past organization name6. Designation in the past organization7. Pay protection approved details8. Arrears amount received with retrospectively (please provide the copy of order approved for pay protection)
Reply	<p>The above relates to 'personal information' of third party, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest. Hence, the disclosure of such information is exempted under Section 8(1)(j) of the RTI Act.</p>